

Section 1**कार्यालय, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या****ई-निविदा सूचना**

कार्यालय-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों से निम्नानुसार प्रतिस्पर्धात्मक ई-निविदा के माध्यम आमन्त्रित की जाती है। विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्तण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य (GST सहित)	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अयोध्या में राजकीय पुस्तकालय में अयोध्या के इतिहास से सम्बन्धित गैलरी का निर्माण तथा पुस्तकालय का उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य।	3,23,16,341.36	6,46,400.00	5,900.00	21.04.2026 04:00PM	09 माह

(क) नोट -

- विस्तृत जानकारी ई-निविदा पोर्टल etender.up.nic.in, प्राधिकरण की वेबसाइट www.ayodhyada.in तथा कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्तण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
- टेंडर डालने से पूर्व निविदा मूल्य (Tender Coast/ Bid Processing Fee) व धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्राधिकरण कोष, में दिये गये लिंक <https://emdada.ayodhyada.in/loginWithotp> के माध्यम से केवल ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) नोट - विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी प्राधिकरण कार्यालय कार्य दिवस में अभियन्तण अनुभाग से अथवा Ayodhya.in/etender.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

- उक्त वेबसाइट के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य Tender Fee मद में एवं धरोहर राशि 'EMD' मद में जमा करनी होगी। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 692/23-07-2024 दिनांक 09.08.2024 के द्वारा निर्माण कार्यों में स्वीकृत लागत से कम लागत की असंतुलित निविदा दरों में अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्योरिटी लिए जाने के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। तथा यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी०ओ०क्यू०) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (below) दर पर अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबंध गठन के समय जमा कराया जायेगा। निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मन्स गारण्टी प्राधिकरण में जमा न कराये जाने पर सम्बन्धित निविदादाता को 01 वर्ष की अवधि हेतु निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने से डिबार किया जायेगा व निविदा की जमानत धनराशि (ई०एम०डी०) को भी जब्त कर लिया जायेगा। जमानत धनराशि एवं अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मन्स गारण्टी प्राधिकरण की उल्लिखित टेण्डर डाक्यूमेन्ट के नियमों के अनुसार देय होगी।
 - यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 02 वर्ष होगी जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र० सं०	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफॉर्मन्स गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	20 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	30 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	अंतिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक निम्न डाली जाती है, इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 03 वर्ष होगी जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र० सं०	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफार्मेंन्श गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	10 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	20 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	20 प्रतिशत
4	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	अंतिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- यदि निविदादाता/ठेकेदार द्वारा निविदा 20 प्रतिशत से अधिक निम्न डाली जाती है, इस संबंध में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि 05 वर्ष होगी जिसको निम्न सारणी के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।

क्र० सं०	वर्ष	जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी	अतिरिक्त परफार्मेंन्श गारण्टी धनराशि अवमुक्त किये जाने की सारणी
1	अन्तिम भुगतान का वर्ष	प्रथम 05 प्रतिशत	05 प्रतिशत
2	अन्तिम भुगतान के पश्चात प्रथम वर्ष	निल	10 प्रतिशत
3	अन्तिम भुगतान के पश्चात द्वितीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
4	अन्तिम भुगतान के पश्चात तृतीय वर्ष	निल	10 प्रतिशत
5	अन्तिम भुगतान के पश्चात चतुर्थ वर्ष	निल	15 प्रतिशत
6	अन्तिम भुगतान के पश्चात पंचम वर्ष	अंतिम 05 प्रतिशत	50 प्रतिशत

- निविदा की दरों में जी०एस०टी० अथवा कोई कर सम्मिलित नहीं है। जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य के लागत की 10 प्रतिशत धनराशि में से निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के समय 5 प्रतिशत जमानत धनराशि हेतु निविदा के डालते समय ई.एम.डी. धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि ठेकेदार द्वारा देय होगी अथवा निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के समय 05 प्रतिशत की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त ई.एम.डी. की धनराशि अवमुक्त करा सकता है। निविदादाता की शेष 5 प्रतिशत जमानत धनराशि चलित देयको से काटी जायेगी।
- निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी०एस०टी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात् उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
- स्टेट बार कौन्सिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) अयोध्या विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9. अयोध्या विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निविदादाता को सफलता की स्थिति में अनुबंध से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। कुछ ऐसे कार्य जिसमें पंजीकरण अनिवार्य नहीं हो, की शर्तों के अंतर्गत यदि कोई निविदादाता किसी निविदा में प्रतिभाग करता है तो ऐसे निविदादाताओं, जो अयोध्या विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, को सफलता की स्थिति में अनुबंध के समय अयोध्या विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण कराना होगा। ऐसे सफल निविदादाता उसी कार्य विशेष हेतु भी अपना प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो केवल उसी कार्य विशेष हेतु ही मान्य होगा, किसी अन्य कार्य की निविदा में प्रतिभाग करने हेतु मान्य नहीं होगा। उक्त प्रोफार्मा रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन पुस्तिका शुल्क एवं सम्बन्धित श्रेणी की पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी, पंजीकरण की जमानत धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. आमंत्रित निविदा में ऐसे कार्य, जिसमें अन्य विकास के साथ-साथ बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित हों, ऐसी स्थिति में कार्य की कुल बी०ओ०क्यू० धनांक से 50 प्रतिशत अधिक के बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य जो न्यूनतम ₹0 25.00 लाख की धनराशि से कम न हो, के बिटुमिन सम्बन्धी कार्य होने पर प्रतिभागी फर्म के पास स्वयं का प्लाण्ट होने का शपथ पत्र के साथ हाट मिक्स प्लाण्ट एवं उससे सम्बन्धित टूल्स एण्ड प्लाण्ट की उपलब्धता का नोटरी से प्रमाणित कराते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अथवा प्रतिभागी फर्म द्वारा किराये/लीज पर लिये जाने की दशा में कार्य विशेष जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है, हेतु फर्म जिसके पास हॉट मिक्स प्लाण्ट व वांछित मशिनरी/टूल्स हो, से उपयोग करने सम्बन्धी सहमति का शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करते हुए संलग्न करना होगा। (शपथ पत्र में प्लाण्ट की क्षमता एवं मेक इत्यादि का उल्लेख करना अनिवार्य है।) यह प्राविधान ₹0 10.00 करोड़ तक की लागत की निविदाओं पर ही लागू होंगे, इससे अधिक लागत के कार्य पर स्वामित्व होना अनिवार्य है। हॉट मिक्स प्लाण्ट प्राधिकरण मुख्यालय/कार्यस्थल से 50 कि०मी० परिधि में स्थापित होना अनिवार्य होगा। बिटुमिनस सड़क सम्बन्धी कार्य में बी०एम०, बी०सी०, एस०डी०बी०सी०, टैक कोट, प्राइम कोट, जी०एस०बी०, डब्लू०एम०एम० आदि कार्य सम्मिलित हैं।
11. आमंत्रित निविदा में ऐसे कार्य जिसमें अन्य विकास के साथ-साथ सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० ड्रेन निर्माण के कार्य सम्मिलित हो, जो कुल बी०ओ०क्यू० धनराशि से 50 प्रतिशत अधिक धनराशि के हो, जो न्यूनतम ₹0 25.00 लाख की धनराशि से कम न हो ऐसे कार्य हेतु सम्बन्धित प्रतिभागी फर्म के पास स्वयं का प्लाण्ट होने का शपथ पत्र के साथ Computerised readymix Plant (RMC) एवं उससे सम्बन्धित टूल्स एण्ड प्लाण्ट की उपलब्धता का नोटरी से प्रमाणित कराते हुए प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अथवा प्रतिभागी फर्म द्वारा किराये/लीज पर लिये जाने की दशा में कार्य विशेष जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है, हेतु फर्म जिसके पास Computerised readymix Plant (RMC) व वांछित मशिनरी/टूल्स हो, से उपयोग करने सम्बन्धी सहमति का शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करते हुए संलग्न करना होगा। (शपथ पत्र में प्लाण्ट की क्षमता एवं मेक इत्यादि का उल्लेख करना अनिवार्य है।) यह प्राविधान ₹0 10.00 करोड़ तक की लागत की निविदाओं पर ही लागू होंगे, इससे अधिक लागत के कार्य पर स्वामित्व होना अनिवार्य है। Computerised readymix Plant (RMC) प्राधिकरण मुख्यालय/कार्यस्थल से 50 कि०मी० परिधि में स्थापित होना अनिवार्य होगा।
12. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक भी कार्य ले सकेंगे। यदि एक श्रेणी से अधिक निम्न श्रेणी की निविदा डाली जाती है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में फर्म को डिबार/ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
13. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
14. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. निविदा आमन्त्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होंगी।
16. निविदा की दरें निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक वैध होने के सम्बन्ध में ₹0 100/- के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अण्डर टेकिंग निविदा के साथ अपलोड करनी आवश्यक होगी।
17. तकनीकी बिड में संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की नम्बरिंग करते हुए, उनकी विषय सूची (किस पृष्ठ पर कौन सा प्रपत्र संलग्न है) संलग्न करनी आवश्यक होगी। साथ ही वांछित प्रपत्रों का स्वप्रमाणित भी होना आवश्यक होगा।

18. समान कार्यों की सूची साथ में संलग्न है। निविदादाता की निविदा उल्लिखित कार्य के अनुभव की मान्य होगी एवं संलग्न सूची के अनुसार समान कार्यों के अनुभव भी मान्य होंगे।
19. सफल निविदादाता से स्वीकृत निविदा धनराशि का 05 प्रतिशत जमानत धनराशि अनुबन्ध के समय RTGS/FD/ Bank Guaranty/ KVP /NSC के रूप में जमा करायी जाएगी।
20. किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निविदा के अस्वीकृत होने के कारण को पूछा नहीं जा सकता है।
21. किसी भी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ अग्रिम धनराशि जमा करने की रसीद अथवा निविदा सूचना के अनुसार अग्रिम धनराशि संलग्न न होगी।
22. निविदा की दर तथा जोड़ को शब्दों तथा अंकों में स्पष्ट रूप से भरा जायें तथा कोई भी कटिंग व ओवर राइटिंग न की जायेगी अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
23. सफल निविदा दाता निविदा की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 15 दिन के अन्दर स्पष्ट रूप से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो निविदा के साथ जमा किया हुआ धनराशि जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा की स्वीकृति वापस कर ली जायेगी।
24. जो पता ठेकेदार का निविदा में मिलेगा वही पता मान्य होगा और इस पते पर भेजी गई डाक यदि डाकखाने से किसी कारण से वितरित न होकर वापस हो जाती है तो समझा जायेगा कि ठेकेदार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।
25. सामान्य निविदा के लिए प्रत्येक कार्य की निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगी।
26. साधारण एवं विशेष शर्तों/नियमों का पालन न होने पर निविदा मान्य न होगी और ठेकेदार को डिबार कर दिया जायेगा एवं ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
27. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/ अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/ जमानत धनराशि के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार को डिबार/ ब्लैक-लिस्ट किया जा सकता है।
28. फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व स्थल की भौतिक स्थिति से भली-भांति आश्वत (Awareness) होना अनिवार्य है।

पी0डब्लू0सी0
(अभियन्तण अनुभाग)

अधि0अभि0
अयोध्या विकास प्राधिकरण
अयोध्या

ठेकेदार के हस्ताक्षर
तथा पता: